न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 118/2021 प्रार्थना पत्र

1. गोपाल लाल पुत्र हीरालालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. शम्भु लाल पुत्र हीरालालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

––प्रार्थीगण

बनाम

1. कान्ताबाई पुत्री मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जो ी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. जगदीश पुत्र मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. मुकेश पुत्र मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. लक्ष्मीबाई पत्नि मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5. भयामाबाई पुत्री मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
6. भाांतिलाल पुत्र मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
7. सोहनलाल पुत्र मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
8. चतरभुज पुत्र माता हुकमीबाई जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः– अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव उपस्थित

आदेश

दिनांकः–31.05.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा काश्त की आराजीयात वाके मौजा अरनिया जोशी प0ह0 अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 28 के आराजी नं0 63/840 रकबा 0.7800 हैक्टेयर लगानी 32 रुपये 76 पैसा भूमि स्थित है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

प्रार्थीगण आराजीयात की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजी नं0 63/840 रकबा 0.7800 हैक्टेयर जिसके पूराने आराजीयात जिसके नये आराजी नं0 63/840 रकबा 0.7800 हैक्टेयर जिसके पूराने आराजी नं0 64/4 रकबा 3 वीघा 3 विस्वा चली आ रही थी उक्त आराजीयात जो पुराने आराजी नं0 64 का टुकडा होकर आपसी सहमति बटवारे से नामांतरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

422 दिनांक 22/02/2001 से रामचन्द्र माता हुकमीबाई ब्राह्मण के हिस्से व बटवाडे मे आई थी और उक्त आराजीयात रामचन्द्र द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 09/10/2015 से 0.2600 हे0 भूमि यानि 26/78 वां हिस्से पूर्व दिशा का बराबर बराबर हिस्सा प्रार्थी नं0 1 व 2 ने कुल 0.2600हे0 भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया तथा भोश आराजी रजि0 विकय पत्र से दिनांक 26/06/2018 से रामचन्द्र के वारेसान से 52/78वों हिस्सा यानी 0.5200हे0 भूमि प्रार्थी नं0 1 ने कय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त मे चली आ रही हैं। उक्त आराजीयात पुराने नक्षा ट्रेस में तरमीम नही थी, तथा वर्तमान सेटलमेन्ट के नया नक्षे ट्रेस में राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम कर दिया हैं जहां पर प्रार्थीगण काबिज है वहां पर विपक्षीगण की आराजी नं0 63/839 व 63 को दर्शा दिया हैं, जो पूराने नक्षा ट्रेस मे तरमीम नही थे। इसलिए उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत रुप से तरमीम हो गया हैं तथा उक्त नवीन नक्क्षा ट्रेस मे अंकन प्रार्थीगण का मौके पर कब्जे अनुसार नही किया हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्क्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में तरमीम प्रार्थीगण का मौके पर काबिज अनुसार, नवीन नक्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। राजस्व नक्शे में निम्नानुसार संशोधन करने का आदेश दिया जाता है।

वर्तमान जमाबंदी अनुसार खातेदार	प्रस्तावित अनुसार खातेदार
जगदीश सोहनलाल शान्तिलाल मुकेश श्यामाबाई कान्ताबाई पिता मांगीलाल मु लक्ष्मी बाई पत्नि मांगीलाल ब्राहमण आ0न0 रकबा लगान 63/839 0.63 26.46	जगदीश सोहनलाल शान्तिलाल मुकेश श्यामाबाई कान्ताबाई पिता मांगीलाल मु लक्ष्मी बाई पत्नि मांगीलाल ब्राहमण सा. देह खातेदार आ0न0 रकबा लगान 63/840 063 26.46
गोपाल पिता हिरालाल 5/6 शम्भूलाल, पिता हिरालाल 1/6 ब्राहमण सा देह 63/840 0.78 32.76	गोपाल पिता हिरालाल का 5/6 शम्भूलाल पिता हीरालाल 1/6 ब्राम्हण सा देह 63/839 0.63 26.46 63 मी 0.15 6.30 कुल 2 0.78 32.76
चतुर्भज माता हुकमीवाई गोपाल पुत्र हीरालाल सा. 63 0.50 21.00	चतुर्भज माता हुकमाबाई गोपाल पिता हीरालाल 63 मी 0.35 14.70 63/840 0.15 6.30 कुल 2 0.50 21.00
गोपाल पिता हीरालाल ब्रा0 958/63 0.13 5.46	गोपाल पिता हीरालाल ब्राह0 देह 958/63 0.13 5.46

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामत किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)